न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

म अपील संख्या 88 / 2021
कुमार जैन, सेवानिवृत्त अ0प्र0 अधि0, कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, निवासी बी—140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर—301001, मो0न0 9414706056

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 02.06.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 88 / 2021 पर दिनांक 02.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 1661—62 दिनांक 02.06.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 1324 दिनांक 07.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संतोष कुमार जैन, सेवानिवृत्त अ0प्र0 अधि0, कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, निवासी बी—140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 06.04.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 112 दिनांक 07.04.2021 द्वारा स्थापना अनुभाग को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया। प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग ने अपने पत्र कमांक 443 दिनांक 30.04.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दू संख्या 1 व 2 की सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है तथा बिन्दू सं0 3 से 8 तक की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत देय नही है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही। (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 1324 दिनांक 07.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संतोष कुमार जैन, सेवानिवृत्त अ0प्र0 अधि0, कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, निवासी बी—140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 06.04.2021

को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 112 दिनांक 07.04.2021 द्वारा स्थापना अनुभाग को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया। प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग ने अपने पत्र कमांक 443 दिनांक 30.04.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दू संख्या 1 व 2 की सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है तथा बिन्दू सं0 3 से 8 तक की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत देय नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

6. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
21/6/21